संख्या: 13/2023/ 217 /35-3-2023-1(32)/2016

प्रेषक,

जे0एल0 यादव,
संयुक्त सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक: 18 अगस्त, 2023

विषय: गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामान्य मद ओएच-31 के अंतर्गत अवमुक्त केंद्रांश के समतुल्य राज्यांश रू0 32.50 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-407/ले0-91/2004(2) दिनांक 26-05-2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक-5-11/2022 आर.आई.सी.दिनांक 16.09.2022 एवं दिनांक- 06-12-2022 के द्वारा सामान्य मद (ओएच 31) के अंतर्गत स्वीकृत केंद्राश रू0 35,00,000/- (कुल रू0 35,00,000/-) के सापेक्ष राज्यांश की द्वितीय किश्त रू. 17,50,000/- की धनराशि शासनादेश दिनांक- 03.03.2023 द्वारा निर्गत की गई थी ।

2- उक्त स्वीकृत केंद्राश रू0 35.00 लाख के सापेक्ष अवशेष देय राज्यांश रू017,50,000/- तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक-5-11-2022 आर.आई.सी.दिनांक 03.03.2023 द्वारा स्वीकृत केंद्राश रू0- 15,00,000/- के समतुल्य राज्यांश रू0-15,00,000/- अर्थात कुल राज्यांश रू0 32,50,000 (बत्तीस लाख पचास हजार रूपये) की वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट व्यवस्था में से निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत / अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
2. अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. कोषागार में उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो, कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवश्यकता का आंकलन/परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में संस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4. उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अवमुक्त की जा रही राज्यांश धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निधारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
5. इस अनुदान पर राजज्ञा संख्या -ए-2364/दस-17/2(1)/67,दिनांक 20 जुलाई, 1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
6. उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगे तथा उनका निरीक्षण, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगे, किया जायेगा।
7. संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
8. उपर्युक्त मद पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अधीन लेखाशीर्षक '' 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय -05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) '' के नामें डाला जायेगा।
9. स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार अनुमन्य/ अनुमोदित मदों में ही किया जायेगा।
10. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- ई 0-5-51 -x-2023-2024, दिनॉक 07 अगस्त , 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 13 /2023/ 217 (1)/35-3-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
8- सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं0- 10580, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
9- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11- नियोजन अनुभाग-1
12- गार्डफाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।